बिहार सरकार,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक – 6/ज0 2 –105/14 – 1523 पटना, दिनांक – 4 · 8 ·14

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय – राज्य के किशनगंज जिला के नजरपुर ग्राम पंचायत (कोचाधामन प्रखण्ड) में वाह्य सम्पोषित DFID–स्वस्थ (SWASTH) परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण एवं 5 वर्षों तक इसकी मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य सहित कुल 1072.84 लाख (दस करोड़ बहत्तर लाख चौरासी हजार रूपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति।

आदेश – राज्य के किशनगंज जिला के नजरपुर ग्राम पंचायत (कोचाधामन प्रखण्ड) में बाह्य सम्पोषित DFID–स्वस्थ (SWASTH) परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण एवं 5 वर्षों तक इसकी मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य सहित कुल 1072.84 लाख (दस करोड बहत्तर लाख चौरासी हजार रूपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस योजना को दो वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

2. इस योजना पर होने वाला व्यय योजना मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 102–ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0105–क्षेत्र विस्तृत पद्धति द्वारा स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण (बाह्य सम्पोषित परियोजना) – विपत्र कोड – P2215011020105 राज्य योजना स्कीम कोड – PUB-5677 – विषय शीर्ष – 31 05 सहायक अनुदान – परिसंपतियों के निर्माण के अन्तर्गत भारित्व होगा।

3. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, किशनगंज होंगे, जो राशि की निकासी कर बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। राशि की निकासी कोषागार, किशनगंज से की जायेगी। बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि कार्यपालक अभियन्ता, किशनगंज को उपलब्ध कराई जाएगी। योजना पर होनेवाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।

4. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

5. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या – एम4–53/2007 – 96 वि0 (2) दिनांक – 03–01–08 के आलोक में मुख्य (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण) मंत्री द्वारा इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. 2014–15 की वार्षिक योजना उदव्यय एवं योजना बजट में इसके लिए प्रावधान है।

7. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

AA 31/7/14
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 6/ज0 2 –105/14 – 1523 पटना, दिनांक – 4 · 8 · 14

प्रतिलिपि –

1. वित्त विभाग (बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग / प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ / जिला पदाधिकारी, किशनगंज / कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (याँत्रिक) –सह– नोडल पदाधिकारी (डी0एफ0आई0डी0) / विशेष पदाधिकारी / कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / उप निदेशक, मूल्यांकण / निदेशक (पी0एम0यू0) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0–II) –सह– उप नोडल पदाधिकारी, डी0एफ0आई0डी0 / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रशाखा – 4 एवं 6, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ / अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ / कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

AA 31/7/14
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव